12/7/24 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी कुमार/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली एवं आदेशानुसार दिनांक 22/8/24 तक की जाये।

22/8/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण के आवेदन के लब्धों को दोहराते हुये निवेदन किया कि विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 व 1006 कुल जिला 6 कुल रकबा 3.20 हे० वाके ग्राम केशरनगर पटवार हल्का कोलिडा तहसील सीकर जिला सीकर के अवस्थित है। जिसमे वादी/प्रार्थी संख्या 2 तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगभग 12 एक ही परिवार चेलाराम की संतानें हैं तथा सभी भूमिधर पैतृक कृषि भूमि है। पक्षकारान चेलाराम की संतानें है। चेलाराम का सबसे बड़ा लड़का कालू है जिसके वारिसान अप्रार्थी संख्या-1 के रूप मे पक्षकार है दूसरा लड़का भोलाराम नाथूलाल कौल होगया जिसके नम्बर का पुत्र बगाराम, चौथा पुत्र पेमाराम (प्रार्थी संख्या 2 का पिता) है तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 6 बगाराम के विधिक वारिस है। चौथा पुत्र पेमाराम प्रतिवादी संख्या 7 के रूप मे पक्षकार है वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 8 व 9 पेमाराम के पुत्र है। भोलाराम नाथूलाल कौल होगया जिसने अपने जीवन काल मे किसी का गोद नही लिया। प्रतिवादी संख्या 8 शायद ने अपने आपको भोलाराम का दत्तक पुत्र बताकर नामान्तरण संख्या 1104 खुलवा लिया। उक्त नामान्तरण का उपखण्ड अधिकारी सीकर के द्वारा अपील संख्या 11/07 अनुसारी बगाराम बनाम शायमल आदि मे दिनांक 30/6/14 को आदेश पारित करते हुये नामान्तरण संख्या 1104 को निरस्त कर दिया। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 7 ने बिना रकबा हस्तान्तरण बेचान करके उसमे से अप्रार्थी संख्या 2 को उसके हक से महरूम करने की नियत से 12 दिखावटी विक्रय पत्र उपपंजीयक सीकर के पुस्तक संख्या-1 जिल्द संख्या 1200 के पृष्ठ संख्या 188 क्रम संख्या 2018 0332 1106347 प्रतिवादी संख्या -10 श्रीमती भागोती देवी प्रतिवादी संख्या 9 की पत्नि के नाम पंजीकृत करवाया। इसी प्रकार विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 11 व 12 के नाम पंजीकृत करवाया। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या -2 ने राजीराम्जा बटवारा करने हेतु तहसील अप्रार्थी संख्या 7 द्वारा महाजामा लुटने एक इंच जमीन भी नही पुगा। जबकि उभय पक्षों का मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे छुड़ाव है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे है तथा अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण को ही होगी। लिहाजा आवेदन अन्तर्गत धारा 212 RT Act स्वीकार किया जाकर मुलवाद अनिस्तारण तक उभयपक्ष के स्थायी निषेधाज्ञा के पांबद किया जाना न्यायोचित है।

दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण अनुपस्थित आये।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (द्वितीय), सीकर

न्यायालय

बनाम सोहलाद आदि

सोरोप देवी

वर्ष

किस्म मुकदमा T.1

मु. नं. 10/2019

दिनांक	आज्ञा - पत्र	
	पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित हाथे भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसका वाजिब एवं वाउजास बटवारा नही हुआ है इस प्रकार उभय पक्षों का मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे छुड़ाव व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे है व अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण की ही होगी इसलिए न्यायालय आवेदन अन्तर्गत 212 RT Act को स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझता है।	
	अतः आवेदन अन्तर्गत धारा 212 RT Act स्वीकार किया जाकर विवादित हाथे भूमि खसरा नम्बर 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 व 1006 वाके ग्राम केशरनगर पटवार हल्का कोलिडा तहसील सीकर जिला सीकर के उभयपक्ष को सर्वोत्तम दावा/मुलवाद अनिस्तारण तक बेचान नही करने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सेकण हो। दाखिल दफ्तर हो।	
	सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर	
	यह फैसला आज दिनांक 22/8/24 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।	
	सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर	